सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-म.प्र. **State Level Bankers' Committee-M.P.**

जेड.ओ./एस.एल.बी.सी/2020-21/ 180 अगस्त 31, 2020

प्रति,

म.प्र. स्थित समस्त राज्यस्तरीय बैंक प्रमुख

विषय- राज्य शासन की स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत मार्जिनमनी/व्याज अनुदान की राशि सीधे हितग्राही के ऋण खाते में क्रेडिट किये जाने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ- उद्योग संचालनालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग, म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक 1/स्वरो/5/(3-ब)/20202670-2731 दिनांक 27.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें. राज्य शासन द्वारा रोजगार मूलक योजनाओं जैसे **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना** में हितग्राही को **मार्जिन मनी अनुदान, व्याज अनुदान एवं सी.जी.टी.एम्.एस.ई गारंटी फीस** का भुगतान किया जाता है. इन अनुदानों का क्लेम बैंक शाखा द्वारा एम्.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल बैंक से किया जाता है.

कुछ बैंकों के सी.बी.एस में ऋण खातों में क्रेडिट एंट्री के restriction एवं NEFT/RTGS के माध्यम से राशि जमा न हो पाने के कारण हितग्राही के ऋण खाते में अनुदान की राशि क्रेडिट नहीं हो पा रही है. जिसके कारण नोमिनल/सस्पेंस खाते में नोडल बैंक द्वारा राशि ट्रान्सफर की जाती है. जिसके चलते यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बैंक शाखा द्वारा हितग्राही को अनुदान राशि का वितरण किया भी गया है या नहीं, अथवा किस दिनांक को वितरण किया गया है? साथ ही विभाग को अनुदान राशि के reconciliation करने में भी परेशानी हो रही है.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए म.प्र. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नोडल बैंक द्वारा सभी प्रकार के अनुदान की राशि सीधे हितग्राही के ऋण खाते में ही ट्रान्सफर की जायेगी. अतः आपसे अनुरोध है कि बैंक के सी.बी.एस में निम्नलिखित provision करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

1. उपरोक्त तीनों योजनाओं के लिए सी.बी.एस में पृथक/Distinct प्रोडक्ट कोड बनाया जाये.
2. इन योजनाओं के तहत खोले गए ऋण खाते में क्रेडिट एंट्री allow किया जाए, जिससे की सिस्टम द्वारा रिपेमेंट न treat किया जाये.
3. इन खातों में NEFT/RTGS के माध्यम से राशि प्राप्त होने की व्यवस्था की जाये.

9, Arera Hills, Jail Road, Bhopal Tel: 0755- 2674022 e-mail: smslbc@centralbank.co.in
Toll Free Help Line No: 18002334035, Website: www.slbcmadhyapradesh.in

अतः अनुरोध है कि अपने प्रधान कार्यालय से पत्राचार कर उपरोक्त व्यवस्था 30 सितम्बर 2020 तक सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

भवदीय

(वी. बालाजी राव) 31-8-20

उप महाप्रबंधक

संलग्न- उक्तानुसार

प्रतिलिपि - सूचनार्थ प्रेषित

1. संचालक, उद्योग संचालनालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
2. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म.प्र. शासन, भोपाल

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)

क्रमांक 1/स्वरो/5/(3-ब)/2020/ 2670-2721 भोपाल दिनांक 27.08.2020

प्रति,

बैंक स्टेट हेड (समस्त)

मध्यप्रदेश ।

विषयः- राज्य शासन की स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत मार्जिनमनी/ब्याज अनुदान राशि सीधे हितग्राही के लोन खाते में क्रेडिट किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं में राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में मार्जिनमनी अनुदान, ब्याज अनुदान एवं CGTMSE शुल्क अनुदान हितग्राहियों को दिया जाता है। इन स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकृत किये गये प्रकरणों में नोडल बैंकों से हितग्राही की अनुदान राशि क्लेम की जाती है।

वर्तमान में बैंक शाखाओं द्वारा नोडल बैंक से क्लेम की गई अनुदान राशि उनके नॉमिनल/सस्पेन्स अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, तत्पश्चात बैंक शाखाओं द्वारा हितग्राही के पक्ष में प्राप्त राशि का वितरण किया जाता है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि बैंक शाखा द्वारा हितग्राही को अनुदान राशि का वितरण किया भी गया है या नहीं, अथवा किस दिनांक को वितरण किया गया है ?

अतः विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नोडल बैंक द्वारा अनुदान की राशि सीधे हितग्राही के लोन खाते में क्रेडिट की जायेगी, **इसलिए अनुरोध है कि जिन बैंकों के CBS में यह व्यवस्था नहीं है कि लोन अकाउंट में अनुदान राशि सीधे क्रेडिट हो सके, वे समस्त बैंक कृपया अपने CBS सिस्टम में यह प्रावधान करावें ताकि नोडल बैंक NEFT/RTGS के द्वारा हितग्राही के लोन खातें में अनुदान राशि सीधे क्रेडिट कर सकें। कृपया इस संबंध में एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्णकर इस कार्यालय तथा सेन्ट्रल बैंक, आँचलिक कार्यालय, भोपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।**

संचालक, एमएसएमई
उद्योग संचालनालय,म.प्र.

क्रमांक 1/स्वरो/5/(3-ब)/2020/ 2722-2786 भोपाल दिनांक 27.08.2020

प्रतिलिपिः-

1. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
2. श्री व्ही. बालाजी राव, उप महाप्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक, आँचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाइन, डीबी मॉल, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय कार्यालय (समस्त), मध्यप्रदेश ।
5. महाप्रबंधक (समस्त), जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश।
6. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सहायक संचालक उद्योग, आईटी कक्ष, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप संचालक,
उद्योग संचालनालय,म.प्र.